न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क्र0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	18/23	2023/03	08/11/2023	संतोष गिरी बनाम सरकार	25.02.2026	1 लगायत 2

1. संतोष गिरी पुत्र रामस्वरूप जाति गुसाई निवासी ग्राम मैडी तहसील वजीरपुर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर ।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. अपीलार्थी पक्ष की और से :— विद्वान अधिवक्ता श्री रविशंकर शर्मा
2. रेस्पोडेन्ट पक्ष की और से :— पेरोकार सरकार

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 116/22 में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मैडी के आराजी ख0नं0 1310 रकबा 0.25 है0 किस्म सिवायचक पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2022 विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 1310 रकबा 0.25 है0 स्थित ग्राम मेडी पर कोई नहीं है ना ही अपीलान्ट राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की मंशा रखता है। सत्यता यह है कि वादग्रस्त भूमि के चारों और अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1761/1310 है। प्रार्थी अपीलान्ट को खसरा नम्बर 1310 [illegible] खसरा नम्बर 1761/1310 नक्शा सीट से पृथक से दर्ज रहा है। पटवारी हल्का ने बिना मौके [illegible] सीमाज्ञान व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की है जो निरस्तनीय [illegible] किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के बिना इस तथ्य पर गौर फरमाये अपीलान्ट को 60 दिवस का सिविल कारावास के दण्डित करने का [illegible] पारित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:58 IST
Reason: SelfAttested

किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट गरीब मजदूर पेशा पेशा व्यक्ति है जो अपने परिवार से अकेला ग्रामीण परिवेश का कमाऊ व्यक्ति है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रस्तुत हल्का पटवारी के बयान विधि अनुसार नही है, न ही उक्त बयानों से अपीलार्थी का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होना प्रकट होता है। उक्त बयान कानून की परिधि के विधि सम्मत नहीं होता है। फिर भी बिना किसी आधार के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से भी यह साबित नहीं होता है कि अपीलार्थी का पूर्ण व बाद में किस साल में कब्जा रहा ऐसे विधि विरूद्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है, साथ ही विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है, साथ ही अपील अपीलार्थी ने अपनी अपील तथा दौराने बहस कथन किया है कि अपीलार्थी का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार वजीरपुर आदिनांक से दिनांक 31.08.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्ट कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 02.09.2022 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्ट का कब्जा काश्त पाया जाता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.09.2022 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:58 IST
Reason: SelfAttested

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी